

159/2023

11/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी का  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार कर  
विलंबित आदेश पुराने से तैयार कर शा. प.  
किया गया। पत्रावली फिलहाल अग्रिम होकर  
सम्बन्ध से कम हो।

उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)